

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/932 /  
II-14-134/19

जबलपुर, दिनांक 11/02/2020

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्त, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16 (1) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत मैं राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय - मध्यप्रदेश जबलपुर, श्री पी.के. शर्मा, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के विभागीय जॉच प्रकरण में श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं श्रीमती नीतू विवेक बंसोड, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूँ।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
जबलपुर, दिनांक 11/02/2020

पृष्ठांकन क्रमांक B/933 /  
II-14-134/19

प्रतिलिपि:-

- 1. रजिस्ट्रार प्रशासन/(आई.एल.)/न्या.1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- 3. वीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 4. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 5. श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर इस निर्देश के साथ कि वे जांच रिपोर्ट 90 दिवस में प्रस्तुत करें,
- 6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- 8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/स्था, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 9. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- 10. श्रीमती नीतू विवेक बंसोड, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- 11. एक अतिरिक्त प्रति स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- 12. श्री पी.के. शर्मा, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- क्रमांक 5, 6, 10, 11 एवं 12 के लिये आरोपपत्र, अभिकथन का विवरण, दस्तावेजों एवं गवाहों की सूची की प्रतिलिपि।



(श्याम बिहारी वर्मा)  
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)  
पर